

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-03022025-260725
SG-DL-E-03022025-260725असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 371
No. 35]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/ MAGHA 10, 1946	[N. C. T. D. No. 371

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

विषय: माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) के चयन हेतु खोज-सह-चयन समिति के गठन के संबंध में।

फा. सं. 3(26)/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/120—राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 14/09/2023 की अधिसूचना संख्या 4073 (E) द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 109 (4) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की एक राज्य पीठ का गठन किया गया है।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 110 (क) में जीएसटीएटी की राज्य पीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) के चयन के संबंध में सिफारिशों हेतु खोज-सह-चयन समिति के गठन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा-45घ की उप-धारा (क) के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 110(क) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 2 सितंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या 3753/सू. के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जीएसटीएटी की राज्य पीठ के

तकनीकी सदस्य (राज्य) की नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित खोज-सह-चयन समिति का निम्नानुसार गठन करते हैं :-

- क) माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय (अध्यक्ष);
- ख) माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), श्री0 राजीव सहाय एंडलॉ, दिनांक 05.10.2024 के पत्र संख्या 19519/Estt./EI-1/DHC द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित (सदस्य);
- ग) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य);
- घ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य);
- ड.) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य सचिव);
- समिति को सचिवीय सहायता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविंदर कुमार, संयुक्त सचिव-I (वित्त)

FINANCE(EXPENDITURE-I) DEPA

NOTIFICATION

Delhi, the 30th January, 2025

Subject: Constitution of Search-cum-Selection Committee for the selection of Technical Member (State) of the State Bench of Goods and Service Tax Appellate Tribunal-reg.

No. F.3.(26)/Fin(Exp-I)/2024-25/DS-I/120—Vide Notification No S.O. 4073 (E) dated 14/9/2023 issued by Department of Revenue, Government of India, one State Bench of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal (GSTAT) has been constituted for the Government of National Capital Territory of Delhi as per section 109 (4) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (CGST Act).

The Central Goods and Services Tax Act, 2017, Section 110 (4) (a) provides for constitution of a Search-cum-Selection Committee for the recommendations in respect of selection of Technical Member (State) of the State Bench of the GSTAT.

As per the provisions of Section 110(4) (a) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with Sub-Section (a) of Section-45D of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and S.O. No 3753(E) dated 2nd September, 2024, issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, the Lt. Governor of Delhi hereby constitutes the following Search-cum-Selection Committee for making recommendations for the appointment of Technical Member (State) of the State Bench of the GSTAT as under:-

- Hon'ble Chief Justice of the High Court, Delhi (Chairperson);
- Hon'ble Justice (Retired) Sh. Rajiv Sahai Endlaw, (Member) nominated by Hon'ble Chief Justice of High Court of Delhi, vide letter No 19519/Estt./EI-1/DHC dated 05-10-2024;
- Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi (Member);
- Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Home Department, Government of National Capital Territory of Delhi (Member);

-
- e) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Government of National Capital Territory of Delhi (Member Secretary).

The secretarial assistance to the Committee shall be provided by Finance Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Finance)